वादी गण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबडा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना–पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
33/24	53,88,89,91,91ए,188 RTA	तुर्कीपाडा	छबडा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
सुन्दरलाल	बनाम	मूर्ति बाई

वकील :– श्री अमर सिंह मीणा **आदेश पत्रक** वकीलः–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
15.04.2024	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,91,91ए,188 RTA विरूद्व प्रतिवादीगण के न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 2.5.2024 को पेश हो।	
11.6.24	पत्रावली पूर्व के नियत की गई तिथि पर आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आई गयी तलबी हेतु लम्बाना पेश करें। पत्रावली आगे तलबी दिनांक 24-6-24 को पेश हो।	
24.6.24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आई की तलबी हेतु लम्बाना पेश करें। पत्रावली आगे तलबी दिनांक 5.8.24 को पेश हो।	
5.8.24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। प्रतिवादी क्रम 1, (2,3 नाबालिग), 5 व 6 की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार भार्गव एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ जो शा० पत्रावली किया गया। प्रतिवादी क्रम 4 के बाद तामिल सम्मन प्राप्त जो शा० फि० है। प्रतिवादी क्रम 4 बावजूद सूचना के न्यायालय में उप० नहीं हुये है। इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादी दिनांक 3.9.24 को पेश हो।	
3.9.24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाल फरीकेन उप०। जवाब प्रतिवादी पेश नहीं हुआ। समय चाहते है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादी दिनांक 28.10.24 को पेश हो।	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
28.10.24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकेन उप० जवाब प्रतिवादी पेश नहीं हुआ। समय चाहते हैं। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 4.12.24 को पेश हो।
4.12.24	कण्डीलेन्ट ~~आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे~~ व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक ...9.12.24.. को पेश हो। शेखर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)
9.12.24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकेन उप० जवाब दावी पेश नहीं हुआ। समय चाहते हैं। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 28.1.25 को पेश हो।
29.1.25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी व स्वयं वादी उप० नहीं है। वकील वादी व स्वयं वादी को तीन बार आवाज लगवाई गई। वावजूद इसके न्यायालय के उप० नहीं है अतः वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।